[2018] 13 एस. सी. आर. 248

आसार मोहम्मद और ओआरएस।

वी.

यू. पी. राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 1617)

24 अक्टूबर, 2018

[ए. एम. खानविलकर और एल. नागेश्वर राव, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस। 302 और 201-हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य

तीन अभियुक्तों का अभियोजन-एक का इकबालिया बयान

अभियुक्त (अपीलार्थी संख्या 1)-उसके कहने पर शवों की बरामदगी-पीडब्लू 7 द्वारा दायर गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी-निचली अदालत द्वारा तीनों अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाते हुए दोषसिद्धि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन अपील पर मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया। सिद्ध परिस्थितियों के संपूर्ण साक्ष्य और समग्रता को ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई अदालतें अपीलार्थी संख्या 1 को यू/एस. एस. के तहत अपराधों का दोषी ठहराने में सही थीं। 302 और 201-अपीलार्थी सं. 1 के स्वीकारोक्ति के अलावा हत्या का कारण बनने के लिए अन्य दो अभियुक्तों (अपीलार्थी <आई. डी. 1 और 3) की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र ठोस साक्ष्य नहीं है-उनके खिलाफ केवल इकबालिया बयान पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है इसलिए, अपीलार्थी सं. 2 और 3 को दंडनीय अपराध से बरी कर दिया जाता है। 302 - हालांकि, साबित से

परिस्थितिगत रूप से यह स्पष्ट है कि उन्हें हत्या और शवों के बारे में जानकारी थी और इसके बावजूद उन्होंने अपीलार्थी संख्या 1 की जांच करने के इरादे से इसका खुलासा नहीं किया इसलिए वे दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। s.201-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एस. 27.

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस। 27 – का दायरा-'तथ्य' शब्द जैसा कि एस में विचार किया गया है। 27 यह 'वास्तविक भौतिक वस्तु' तक सीमित नहीं है-इसमें खोज शामिल है।

किसी वस्तु का, वह स्थान जहाँ से वह उत्पन्न होती है और उसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान।

प्रमाणः

सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान-यदि इसका उपयोग अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ किया जा सकता है-आयोजितः सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान अपने आप में नहीं हो सकता है

अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आधार जब तक कि आयोग में उनकी संलिप्तता को इंगित करने के लिए कुछ और प्रस्तुत नहीं किया जाता है

अपराध का आयोग। अभियोजन पक्ष अपना मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित करता है। यह तथ्य कि पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 शत्रुतापूर्ण हो गए और अभियोजन पक्ष उद्देश्य के तथ्य को स्थापित नहीं कर सका, अन्य सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष के सुधार पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसमें मृतक व्यक्तियों की हत्या के बारे में अभियुक्त संख्या 1 का इकबालिया बयान और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शवों को उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था और पुलिस को उस स्थान पर ले जाया गया था जहां से दो शव बरामद किए गए थे, जिनकी पहचान भी विवादित नहीं है, चिकित्सा साक्ष्य के साथ कि दो मृतकों की मृत्यु का कारण था। व्यक्ति गर्दन पर पूर्व-शव परीक्षण चोट के कारण थे

जिसके परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और यह एक हत्या है। [पैरा 8 और 11] [257-एफ]

पदाला वीरा रेड्डी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1989) सप. (2) एस. सी. सी. 706; मुलख राज और अन्य। वी.

सतीश कुमार और अन्य। (1992) 3 एससीसी 43: [1992] 2 एस. सी. आर. 484; निका राम बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (1972) 2

एस. सी. सी. 80 [1973] 1 एस. सी. आर. 428-पर निर्भर था।

निचली अदालत द्वारा किए गए निष्कर्ष के साथ सहमति, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, अपीलार्थी संख्या 1 के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष के संबंध में, जिसने पुलिस के सामने स्वीकार किया था और पुलिस दल को उस स्थान पर भी ले गया था जहां शवों को फेंका गया था। [पैरा 12] [261-एच; 262-ए] 3. यदि कोई अपराध उस घर की गोपनीयता के भीतर होता है जहाँ अभियुक्त को योजना बनाने और करने का पूरा अवसर मिलता है

उनकी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध, यह [2018] 13 एस. सी. आर.

अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद मुश्किल होगा यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर जोर दिया जाता है। [पैरा 12] [262-सी-डी]

त्रिमुख मोरौती किरकान बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 156-पर निर्भर।

4. तथ्यों को आत्म-प्रोबेटरी होने की आवश्यकता नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में "तथ्य" शब्द सीमित नहीं है। "वास्तविक भौतिक वस्तु" के लिए। तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी किसी विशेष स्थान पर सूचना देने वाले के अस्तित्व के बारे में ज्ञान या मानसिक जागरूकता का प्रदर्शन करती है। इसमें किसी वस्तु की खोज, वह स्थान जहाँ से वह उत्पन्न होती है और उसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए

न्यायालय को अभिलिखित अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है अपीलार्थी नं. 1 के विरुद्ध। [पैरा 13 और 14] [265-सी-डी; 270-एफ]

वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2015)

1 एस. सी. सी. 253-पर निर्भर।

5. सह-अभियुक्त अपीलार्थी सं. 1 के स्वीकारोक्ति के अलावा, अभियोजन पक्ष ने कोई स्वतंत्र आधार प्रस्तुत नहीं किया है। सबूत से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी Nos.2 और 3 हत्या करने में शामिल थे। यह अच्छी तरह से तय है कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान अपने आप में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता का संकेत देने के लिए कुछ और पेश नहीं किया जाता है। [पैरा 15] [270-जी-एच]

कश्मीरा सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [1952] एस. सी. आर. 526; भुबोनी साहू बनाम। आर. (1948-49) 76 आई. ए. 147;

पेरियास्वामी मूपन, इन रे आई. एल. आर. (1931) 54 मैड 75; सम्राट बनाम। ललित मोहन चक्करबुट्टी आई. एल. आर. (1911) 38

कैल 559 पर भरोसा किया।

हरिचरण कुर्मी बनाम। बिहार राज्य [1964] 6 एससीआर 623

- पीछा किया।

6. अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति नहीं है। 2 और 3 केवल पुलिस के समक्ष किए गए अपीलार्थी संख्या 1 के स्वीकारोक्ति के आधार पर, भले ही स्वीकारोक्ति का प्रासंगिक हिस्सा स्वीकार्य हो और विधिवत साबित हो गया हो। ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. का कोई ठोस सबूत नहीं है।

वी. यू. पी. राज्य

अपीलार्थी संख्या की संलिप्तता दिखाने के लिए आगे आ रहा है। 2 और 3 हत्या का कारण बनने के लिए, उन्हें आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए खुला नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आरोप, जैसा कि बनाया गया है, धारा 302 के तहत अपराध के लिए सरल है और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 या आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

इस संबंध में। इसलिए इन अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में बरी करना होगा। [पैरा 16] [272-एच; 273-ए-सी]

7. हालाँकि, यह तथ्य कि अपीलार्थी Nos.2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

उन्हें आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध से मुक्त न करें। अभिलेखसँ ज्ञात सिद्ध परिस्थितिसभमे कोनो सन्देह नहि रह जाइत अछि जे मृतक अपीलार्थी सभक सङ्ग एकहि घरमे रहि रहल छलाह। इसके अलावा मृतक अपीलार्थी संख्या 3 की दूसरी पत्नी थी और मृतक 'आई' कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी संख्या 3 का बेटा था जिसका जन्म मृतक 'जेड' के साथ विवाह में हुआ था। मृतक 'जेड' अपीलार्थी Nos.1 और 2 की सौतेली माँ थी और मृतक 'आई' उनका सौतेला भाई था। इस संबंध पर कोई विवाद नहीं हुआ है। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि मृतक व्यक्ति अचानक दो महीने से अधिक समय से लापता थे। जाहिर है, अपीलार्थी संख्या द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। 2 और 3 उनका पता लगाने के लिए और न ही उन्होंने स्थानीय पुलिस को उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक समझा। यह

वास्तव में अपीलार्थी सं. 3, मृतक 'जेड' के पति और मृतक 'आई' के नाबालिग बेटे के पिता का स्वाभाविक व्यवहार या आचरण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, अपीलार्थी सं। 2 और 3 ने अपीलार्थी संख्या 1 के कहने पर अपने घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक से पाए गए दो शवों की पहचान को चुनौती नहीं दी है। उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने मृतक व्यक्तियों के अचानक लापता होने के बारे में क्यों नहीं बताया (जब तक कि उनके शव दो महीने बाद उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक से बरामद किए गए)। सहवर्ती यह है कि अपीलार्थी Nos.2 और 3 को जानकारी थी कि मृतक व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था

अपने घर के पिछवाड़े में और फिर भी, उन्होंने अपीलार्थी संख्या 1, अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से उस तथ्य का खुलासा नहीं किया। दूसरे शब्दों में, भले ही वे [2018] 13 एस. सी. आर. नहीं हो सकते।

उस संबंध में कानूनी साक्ष्य के अभाव में हत्या के लिए उत्तरदायी होने पर, वे निश्चित रूप से आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध करने के लिए दोषी होंगे, जैसा कि उनके आचरण के बारे में कोई स्पष्टीकरण, बहुत कम ठोस स्पष्टीकरण देने में उनकी घोर विफलता के साथ साबित परिस्थितियों से स्थापित होता है। अपरिहार्य और वैध निष्कर्ष निकाला जाना है कि वे दोषी हैं

आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध। [पैरा 17] [273-डी-एच; 274-ए]

मामला कानून संदर्भ

(1989) 2 पूरक। एस. सी. सी. 706

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1992] 2 एससीआर 484

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[1973] 1 एससीआर 428

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2006] 7 पूरक। एससीआर 156

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

(2015) 1 एस. सी. सी. 253

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[1952] एससीआर 526

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

(1948-49) 76 आई ए 147

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

उस पर भरोसा करें

आई. एल. आर. (1931) 54 मैड 75

पै

रा 15

उस पर भरोसा करें

आई. एल. आर. (1911) 38 कैल 559

पै

रा 15

[1964] 6 एससीआर 623

पीछा किया।

पै

रा 15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1617 2011 का

उच्च न्यायालय के 30.07.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 की आपराधिक अपील सं. 1631 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

एस. के. भट्टाचार्य, एल. के. पाओनम, नीरज बॉबी पाओनम,

श्रीमती तोमथिन्गन्बी कोइजाम, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

राजेश के. सिंह, प्रदीप मिश्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. यह अपील से निकलती है

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश

2008 की आपराधिक अपील No.1631 में दिनांक 30 जुलाई, 2009, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध

लेकिन मौत की सजा को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया,

और आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

अतिरिक्त सत्रों द्वारा दिए गए 2 साल के कारावास और जुर्माने की सजा

2. संक्षेप में कहा गया है कि एक शबाबुल (पीडब्लू-7) ने 24 जनवरी, 2004 को पुलिस स्टेशन, डेडोली को जाहिदा बेगम के बारे में जानकारी दी। अपीलार्थी नं. 3 की दूसरी पत्नी, मुंशी का बेटा अख्तर मोहम्मद और उनका बेटा इशलाम (लगभग 11 साल का) जो पिछले दो महीनों से गाँव से लापता थे, जिसके बावजूद उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी थी। अपीलार्थी Nos.1 और 2, क्रमशः असर मोहम्मद और असरफ मोहम्मद, दो बेटे हैं।

अपीलार्थी सं. 3 अख्तर मोहम्मद की, उनकी पहली पत्नी से। इस प्रकार, मृतक जाहिदा बेगम अपीलार्थी Nos.1 और 2, असर की सौतेली माँ हैं।

मोहम्मद और असरफ मोहम्मद। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह (पीडब्लू-10), जिन्हें हेड मोहरार के रूप में तैनात किया गया था, ने जीडी No.32 (अतिरिक्त) में प्रविष्टि की। का-17)। उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पीडब्लू-9, पुलिस स्टेशन, डेडोली के स्टेशन हाउस ऑफिसर, विरेंद्र कुमार त्यागी ने एस. आई. डूंगर सिंह वर्मा (पीडब्लू-6), मांगे राम तोमर, नाथ प्रकाश गुप्ता, कांस्टेबल अस्कर अली और एसएसआई हरेंद्र सिंह (पीडब्लू-4) के साथ गाँव का दौरा किया। असर मोहम्मद (अपीलकर्ता नंबर 1/आरोपी नंबर 1) से पूछताछ करने पर, उसने खुलासा किया कि जाहिदा उसकी सौतेली माँ थी और उसका बेटा इशलाम उसका सौतेला भाई था। उसने स्वीकार किया कि उसने अन्य दो अपीलार्थियों के साथ मिलकर जाहिदा दोनों की हत्या की थी।

और इशलाम और उसके बाद, उनके शवों को उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। इसके बाद वह पुलिस दल को सेप्टिक टैंक तक ले गया और मंगत और जगदीश वाल्मीकि की मदद से ढक्कन हटा दिया।

(पीडब्लू-8), जहाँ से शवों को निकाला गया था। शव अत्यधिक सड़ गए थे और लगभग कंकालों में बदल गए थे। जाहिदा बेगम का शव नायलॉन की रस्सी से बंधा हुआ पाया गया। का-18)। इसके बाद, हरेंद्र सिंह (पीडब्लू-4) द्वारा शवों की बरामदगी का ज्ञापन तैयार किया गया। एस. आई. डूंगर सिंह वर्मा (पीडब्लू-6) ने जाँच की और जाँच रिपोर्ट दी। उन्होंने शवों से संबंधित आवश्यक कागजात भी तैयार किए और शवों के स्थान की एक योजना तैयार की।

पुनर्प्राप्ति (Ext.Ka-19)। इसके बाद अगले दिन यानी 25 जनवरी, 2004 को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच अधिकारी ने तब जांच गवाहों का बयान दर्ज किया और असरफ मोहम्मद (अपीलकर्ता संख्या 2/आरोपी संख्या 2), [2018] 13 एस. सी. आर. को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिनका बयान उसी दिन दर्ज किया गया था। के बयान

बेगम बानो (पीडब्लू-1) और अकरम को 26 जनवरी, 2004 को दर्ज किया गया था। अपीलार्थी सं. 3 अख्तर को 10 फरवरी, 2004 को गिरफ्तार किया गया था। डॉ. कुलदिप सिंह (पीडब्लू-5) द्वारा शवों का पोस्टमॉर्टम किया गया, जिन्होंने नोट किया कि जाहिदा बेगम के शरीर में अन्य बातों के साथ-साथ ह्यॉइड हड्डी और ह्यॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर था, जो उनकी राय में, दम घुटने (ह्यॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर) के कारण मृत्यु का कारण था और यह कि मृत्यु एक महीने से अधिक समय पहले हुई थी। इशलाम के मृत शरीर के संबंध में, उन्होंने अन्य बातों के साथ उल्लेख किया कि मृत्यु का कारण दम घुटना (ह्यॉइड हड्डी का टूटना) था। इसके बाद

जाँच का समापन, आरोप पत्र (अतिरिक्त। का-21) प्रस्तुत किया गया था

11 फरवरी, 2004 को क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष। उक्त न्यायालय ने जे. पी. नगर में सत्र न्यायालय को मामला सौंपा जहां इसे सत्र परीक्षण No.155/2004 के रूप में दर्ज किया गया था। सत्र न्यायालय ने 5 अगस्त, 2004 को अपीलार्थियों के खिलाफ निम्नानुसार आरोप तय किए:

" शुल्क

आई, मुशफी अहमद, एडिशनल। सेस। न्यायाधीश, इसके द्वारा आप पर आरोप लगाते हैं,

असर मोहम्मद, असरफ और अख्तर इस प्रकार हैं:

कि आप दो महीने पहले 24.1.2004 (की तारीख) से

पान्यती गाँव में सुबह 1 बजे पीएस को जानकारी)

पीएस डिडोपली जिले की सीमाएँ। जे. पी. नागर ने की थी हत्या

जानबूझकर या जानबूझकर श्रीमती की मृत्यु का कारण बनना। जाहिदा और इश्लाम और इस तरह के तहत दंडनीय अपराध किया

धारा-आई. पी. सी. की धारा-30 और इस सत्र न्यायालय के संज्ञान के भीतर।

कि उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर आपके पास यह विश्वास करने का कारण है कि हत्या के साथ कुछ अपराध मौत से दंडनीय है

उक्त अपराध को किया गया है, पीड़ितों के शवों को कानूनी सजा से मुक्त करने के इरादे से गटर में फेंक दिया गया है और इस तरह उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है। इस सत्र न्यायालय का संज्ञान।

और मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि आप पर उक्त आरोप पर मुकदमा चलाया जाए

यह सत्र न्यायालय "।

3. अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें पी. डब्ल्यू.-1 बेगम बानो, पी. डब्ल्यू.-2 हाजी इकबाल, पी. डब्ल्यू.-3 नवाब जान, पी. डब्ल्यू.-4 हरेंद्र सिंह, पी. डब्ल्यू.-5 डॉ. कुलदिप सिंह, पी. डब्ल्यू.-6 डूंगर सिंह वर्मा, पी. डब्ल्यू.-7 शबाबुल, ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. शामिल हैं।

वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सत्र न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद अंततः पाया कि भले ही यह परिस्थितिजन्य मामला था साक्ष्य के अनुसार, अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को स्थापित करने में सफल रहा और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 303 और 201 के तहत अपराधों का दोषी पाया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सत्र न्यायालय ने 1 मार्च, 2008 के फैसले और आदेश के माध्यम से प्रत्येक अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए जुर्माने के साथ मौत की सजा और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के संबंध में जुर्माने के साथ 2 साल के कारावास की सजा सुनाई।

4. तीनों अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में मामले को उठाया, जो 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1631 थी, जिसकी सुनवाई की गई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त मृत्यु संदर्भ के साथ, 2008 का संदर्भ संख्या 3 है। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना की और उसके समक्ष उद्धृत प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, निचली अदालत द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की। अंत में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

मृतक का निकट संबंध। इसलिए, उक्त मामले के तथ्यों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए आयात नहीं किया जा सकता है। 28. हमने अभिलेख पर साक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्कैन किया है। अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों और साक्ष्यों में, यह [2018] 13 एस. सी. आर.

कोई विवाद नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने इससे आगे साबित किया है

डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से जाहिदा की मौत का कारण बताया है। बेगम दम घुटने (ह्यॉइड हड्डी का फ्रैक्चर) के कारण थी और

थायराइड उपास्थि) और इस्लाम की मृत्यु भी इसके कारण हुई थी

एस्फिक्सिया (ह्यॉइड हड्डी का टूटना)। अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित किया। एक अन्य

अभियुक्त के अपराध की ओर बिना किसी कारण के इशारा करने वाली परिस्थिति

कि, शव सेप्टिक से बरामद किए गए थे

अपीलार्थी के घर के अंदर स्थित टंकी पर भी

असर मोहम्मद की ओर इशारा करते हुए। पीडब्लू-3 नवाब जान और पीडब्लू 8 जगदीश ने यह कहने के लिए कोई शब्द नहीं कहे कि शव थे

सेप्टिक से असर मोहम्मद के संकेत पर बरामद किया गया

टैंक, मृतक की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है।

फिर भी एक और परिस्थिति अभियुक्त की ओर उंगली उठाती है अपीलकर्ताओं का कहना है कि अपीलकर्ताओं ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की

मृतक के लगभग दो महीने से लापता होने के बारे में

न ही उनकी मृत्यु के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान।

(जोर दिया गया)

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आएंगी, जिसके कारण उसने अपीलार्थियों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि नहीं की। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस प्रकार, अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को उस हद तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई और 30 जुलाई, 2009 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से संदर्भ को खारिज कर दिया गया।

5. पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

अपीलार्थियों का मुख्य तर्क यह है कि यद्यपि यह नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष का मामला है, लेकिन यह स्पष्ट त्रुटियों से भरा हुआ है और न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले साक्ष्य से कम है परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध। इसमें अपराध करने के पीछे का मकसद बिल्कुल भी स्थापित नहीं हुआ है। दो शवों की पहचान के संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए बहुत कम कि यह अपीलार्थी संख्या 3 की दूसरी पत्नी और अपीलार्थी संख्या 3 के बेटे के अलावा किसी और का नहीं था।

यह मोहम्मद और ओ. आर. एस. की तरह है। वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि पुलिस ने पीडब्लू-7 को सूचना देने वाले के रूप में स्थापित किया है, जो पुलिस का एक बाध्यकारी सूचना देने वाला था। अगर उसका सबूत होना है खारिज किए जाने पर, अभियोजन पक्ष के मामले की उत्पत्ति समाप्त हो जानी चाहिए और इस मामले में, बाकी परिस्थितियों या साक्ष्य का कोई फायदा नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि द्वारा तैयार की गई अन्य रिपोर्ट भी

कथित तौर पर अपराध की जांच के दौरान पुलिस को अभियोजन मामले के अनुरूप बनाया गया था। इसे त्याग दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिसे समग्र रूप से या आंशिक रूप से भी लिया जाता है, कल्पना के किसी भी विस्तार से अपराध करने में अपीलार्थियों की संलिप्तता को स्थापित नहीं करता है। अभियोजन पक्ष का मामला जिस परिकल्पना पर टिका है, वह अप्रमाणित है। इसके अलावा, अभियुक्त का कथित रूप से पुलिस को दिया गया बयान, जो अभियोजन मामले का आधार है, साक्ष्य में अस्वीकार्य है और किसी भी तरह से सह-अभियुक्त के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इन सभी कारणों से, अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज अपराध के निष्कर्ष को तथ्यों या कानून के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है।

6. हालाँकि, राज्य के विद्वान वकील ने अपील के तहत निर्णय का समर्थन किया और कहा कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष

परिस्थितियों को स्थापित किया है और श्रृंखला सभी मामलों में पूर्ण है,

7. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री एस. के. भट्टाचार्य और उनके विद्वान वकील श्री राजेश के. सिंह को सुना है। उत्तरदाता। हमने मूल रिकॉर्ड सहित पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जाए कि वर्तमान मामले में, द्वारा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है

आयोग में अपीलार्थियों की भागीदारी के संबंध में अभियोजन

अपराध से। अभियोजन पक्ष अपना मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित करता है। पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र राज्य में इस मामले की जांच कैसे की जानी चाहिए, इस बारे में कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई है। प्रदेश और Ors.[1] निम्नलिखित शब्दों में:

" 10. ..... इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है तो ऐसा साक्ष्य

1 (1989) सप.

निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिएः

(1)

जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाता है

खींचा जाना चाहिए, ठोस और दृढ़ता से होना चाहिए

स्थापित;

वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए

(2)

निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए;

परिस्थितियों, संचयी रूप से लिया, एक गठन करना चाहिए

(3)

जंजीर इतनी पूर्ण है कि इससे कोई बच नहीं सकता है यह निष्कर्ष निकालना कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं; और

(4)

दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य

अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसके साथ असंगत होना चाहिए।

निर्दोषता। (देखें गंभीर बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2.)

11. राम नंद बनाम भी देखें। हिमाचल प्रदेश राज्य 3,

कृष्णप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य 3, ज्ञान सिंह बनाम। की स्थिति पंजाब ', बलविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य "। "

9. मुलख राज और ओआरएस में। बनाम सतीश कुमार और Ors.[3], अदालत

एन. टी. सी. ने पैराग्राफ 4 में कानूनी स्थिति को निम्नानुसार दोहरायाः

निस्संदेह यह मामला परिस्थिति पर निर्भर करता है।

" 4 .

सबूत। यह दोहराना तुच्छ है कि एक मामले में

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अभियोजन पक्ष को सभी को साबित करना चाहिए

लिंक की अटूट श्रृंखला को जोड़ने वाली परिस्थितियाँ

केवल एक निष्कर्ष पर कि अभियुक्त ने अपराध किया। यदि निर्दोषता की कोई अन्य उचित परिकल्पना

अभियुक्त का अनुमान सिद्ध परिस्थितियों से लगाया जा सकता है,

अभियुक्त लाभ का हकदार होगा। क्या है?

2) 2 एससीसी 351; ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1157 1) 1 एससीसी 511; ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 738

2) 3 एससीसी 462; (1983) 1 एससीआर 822; एआईआर 1983 एससी 61

3) क्रि एलजे 846; (1983) 2 एससीसी 330

पूरक (1) एस. सी. सी. 676; ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1921

7) 1 एससीसी 1; ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 350

2) 3 एस. सी. सी. 43 ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आवश्यक मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक, विश्वसनीय और

अपराध के साथ आरोपी। यदि अभियुक्त का आचरण अपराध के संबंध में पिछले प्रश्न में आता है और

मामले की मानवीय संभावनाएं भी प्रासंगिक होंगी। द. न्यायालय को संचयी प्रभाव के साक्ष्य का वजन करना चाहिए

परिस्थितियाँ और यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

अभियुक्त ने अपराध किया, आरोप लगाया जाना चाहिए

साबित हुआ और दोषसिद्धि और सजा का पालन किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

10. आइए हम उन परिस्थितियों पर लौटें जो अनुकूल थीं

न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी यह विचार रखना चाहिए कि परिस्थितियों की श्रृंखला ने इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि केवल अभियुक्त ही

विचाराधीन अपराध करने में शामिल। वे।

ई. डी. परिस्थितियों को निम्नानुसार चित्रित किया जा सकता हैः

(i) लापता व्यक्तियों (जाहिदा और इशलाम) के बारे में जानकारी

गाँव के चौकीदार द्वारा दिया गया था। , शबाबुल (पी. डब्ल्यू. 7)।

((ii) यह तथ्य कि दो नामित व्यक्ति लापता हो गए थे।

लगभग दो महीने बाद पुलिस ने दौरा किया

उसी को सत्यापित करने के लिए गाँव और विशेष रूप से "का प्रवेश

अभियुक्त-असर मोहम्मद (अपीलार्थी संख्या 1) "कि दोनों

Nos.2 और 3 क्रमशः) और "उनके शवों को फेंक दिया गया था उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक में।

(iii) अपीलार्थियों द्वारा इस संबंध में कोई 'गुमशुदगी रिपोर्ट' दर्ज नहीं की गई थी।

जाहिदा और इशलाम के कारणों से, वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं।

(iv) अपीलार्थी नं. 1 ने पुलिस को बताया कि वह जगह दिखाएगा।

जहाँ शवों को फेंक दिया गया और उन्होंने पुलिस का नेतृत्व किया

अपीलार्थियों के घर के पिछवाड़े में उस स्थान पर पक्षकार, जो उनके अनन्य ज्ञान के भीतर था और ढक्कन खोल दिया

दोनों मृतकों को बाहर निकालने में सुविधा के लिए स्वयं सेप्टिक टैंक का

जिन शवों को उन्होंने जाहिदा और इशलाम के रूप में स्वीकार किया।

(v) [2018] 13 एस. सी. आर. में सेप्टिक टैंक से बरामद दो शवों में से एक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थियों के घर के पिछवाड़े में लगभग 32 वर्ष की आयु की एक पूर्ण विकसित महिला थी और दूसरा लगभग 11 वर्ष की आयु के एक पुरुष बच्चे का था जो निम्नलिखित के अनुरूप थाः

जाहिदा और इशलाम की आयु क्रमशः।

(vi) शवों को सेप्टिक टैंक से निकालने से एक महीने से अधिक समय पहले फेंक दिया गया था।

विघटित स्थिति।

(vii) दोनों शवों पर गर्दन के महत्वपूर्ण हिस्से पर एंटे-मॉर्टम चोटें देखी गईं, जो चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, दम घुटने और एक मामले के कारण मौत का कारण थी।

हत्या की मौत।

(viii) अभियुक्तों ने न तो जाहिदा और इशलाम के दो शवों की पहचान पर विवाद किया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया, भले ही उनका सामना इन शवों से किया गया हो।

निंदनीय साक्ष्य।

(ix) न तो कोई सबूत पेश किया गया है और न ही आरोपी द्वारा कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि वे क्यों हैं।

जाहिदा और इशलाम के संबंध में 'गुमशुदगी की शिकायत/रिपोर्ट' दर्ज नहीं की, जो उनके निकट संबंधी थे और एक ही घर में रह रहे थे; न ही उन्होंने कोई सबूत प्रस्तुत किया है कि वे दोनों अभी भी जीवित थे और कहीं और रह रहे थे। इसी तरह, जाहिदा और इशलाम की मृत्यु के कारण के बारे में, या उस मामले के लिए, उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिनमें उनके शव उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक में पाए गए थे और शवों के महत्वपूर्ण हिस्से पर पूर्व-शव परीक्षण चोटों के बारे में भी, जो चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, मृत्यु का कारण थे।

दम घुटने से मृत्यु।

11. निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 4 से 10 के साक्ष्य सहित रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अपराध में आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए उपरोक्त परिस्थितियों को समझा था। दोनों अदालतों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि बेगम बानो (पीडब्लू-1); हाजी इकबाल (पीडब्लू-2); और नवाब जान (पीडब्लू-3) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्य का तथ्य सामने आया। जाहिदा और इशलाम की हत्या के पीछे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका। विशेष रूप से, इन शत्रुतापूर्ण गवाहों (पीडब्लू 1 से 3) ने भी जाहिदा और इशलाम के आरोपी और ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. के साथ संबंधों पर विवाद नहीं किया है।

वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

तथ्य यह है कि वे अभियुक्तों के साथ एक ही घर में रह रहे थे

उनके लापता होने से पहले। चाहे जो भी हो, दोनों अदालतों ने फैसला सुनाया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली अन्य सिद्ध परिस्थितियाँ, अभियुक्त की घोर खामोशी के साथ

ऊपर उल्लिखित आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहने सहित, उनके खिलाफ अपराध को घर लाने के लिए पर्याप्त था और इसके अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि आरोपी जाहिदा और इशलाम की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। वे मृतक के निकट संबंधी थे (क्योंकि जाहिदा आरोपी अख्तर (अपीलकर्ता संख्या 3) की दूसरी पत्नी थी और इशलाम मृतक की दूसरी पत्नी थी।

उनके बीच विवाह में पैदा हुआ बेटा; और अपीलार्थी संख्या। 1 और 2 जाहिदा के सौतेले बेटे और इशलाम के सौतेले भाई थे)। जाहिदा और इशलाम के लगभग दो महीने तक लापता होने से पहले वे सभी एक ही घर में रह रहे थे। इस तथ्य की सूचना शबाबुल (पीडब्लू-7) ने पुलिस को दी थी। यह तथ्य कि शबाबुल पुलिस के वेतन पर है, इस सिद्ध तथ्य की अवहेलना करने का आधार नहीं हो सकता है कि जाहिदा और इशलाम पुलिस को सूचित किए जाने से पहले लगभग दो महीने से लापता थे। अपीलकर्ताओं में से किसी ने भी जाहिदा और इशलाम के साथ अपने संबंधों को अस्वीकार नहीं किया है या बचाव में यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने की जहमत नहीं उठाई है कि जाहिदा और अशलाम अभी भी जीवित थे और कहीं और रह रहे थे। 'निका राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य' के मामले में इस अदालत ने कहा कि आरोपी और मृतक (उसकी पत्नी) एक साथ रहते थे और चूंकि आरोपी उन परिस्थितियों के बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में विफल रहा जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, इसलिए उसने उसके अपराध की ओर इशारा किया और इस प्रकार, अदालत ने इस तरह के निष्कर्ष निकाले। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-3 शत्रुतापूर्ण हो गए और अभियोजन पक्ष उद्देश्य के तथ्य को स्थापित नहीं कर सका, यह तथ्य अन्य सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर दोनों अदालतों द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष की शुद्धता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसमें जाहिदा बेगम और इशलाम की हत्या के बारे में अभियुक्त संख्या 1 का इकबालिया बयान और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शवों को उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था और पुलिस को उस स्थान पर ले जाया गया था जहां से दो शव बरामद किए गए थे, जिनकी पहचान भी विवादित नहीं है, चिकित्सा साक्ष्य के साथ कि दो मृत व्यक्तियों की मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण के कारण था।

12. पूरे साक्ष्य को देखने और समग्रता लेने के बाद

सिद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निचली अदालत द्वारा किए गए निष्कर्ष से सहमत हैं, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, अपीलार्थी नंबर 1-असर मोहम्मद के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष के संबंध में, जिसने पुलिस के सामने स्वीकार किया था और पुलिस दल को उस स्थान पर भी ले गया था जहां शवों को फेंका गया था। त्रिमुख मोरौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अपराध उस घर की निजता के भीतर होता है जहां अभियुक्त को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और करने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद मुश्किल होगा यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्या कीः

" 14. यदि कोई अपराध किसी घर की निजता के भीतर होता है और ऐसी परिस्थितियों में जहां हमलावरों को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और करने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद मुश्किल होगा यदि अदालतों द्वारा ऊपर देखे गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए। एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए। दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं। (स्टर्लैंड वी. देखें। लोक अभियोजन निदेशक 1 1-पंजाब राज्य बनाम में न्यायाधीश अरिजीत पसायत द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत। करनैल सिंह 1 2)। कानून अभियोजन पक्ष को ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व करने का कर्तव्य नहीं देता है जिसका नेतृत्व करना लगभग असंभव है या किसी भी तरह से नेतृत्व करना बेहद मुश्किल है। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य इस तरह के साक्ष्य का नेतृत्व करना है जिसे ध्यान में रखते हुए वह नेतृत्व करने में सक्षम है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए। यहाँ यह है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है।

जो कहता है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से भीतर है

किसी भी व्यक्ति का ज्ञान, उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर है। चित्रण (बी) इस खंड में जोड़ा जाता है

इस प्रावधान की विषय-वस्तु और दायरे पर कुछ प्रकाश डालें और यह

पढ़ता हैः

' (ख) क पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है।

10 (2006) 10 एस. सी. सी. 681 11 1994 ए. सी. 325; (1994) 2 ए. आई. आई. ई. आर. 13 (एच. एल.) 12 (2003) 11 एस. सी. सी. 271 ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस.

यह साबित करने का भार कि उनके पास टिकट था, उन पर है।

15. जहाँ हत्या जैसा अपराध गुप्त रूप से किया जाता है।

एक घर के अंदर, मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ होगा

आरोप स्थापित करने के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की राशि समान डिग्री का नहीं हो सकता है जैसा कि अन्य मामलों में आवश्यक है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य। बोझ एक का होगा तुलनात्मक रूप से हल्का चरित्र। की धारा 106 को देखते हुए

साक्ष्य अधिनियम पर एक संबंधित बोझ होगा

घर के निवासियों को एक ठोस स्पष्टीकरण देने के लिए

अपराध कैसे किया गया था। घर के रहने वाले

बस चुप रहने और ना कहने से दूर नहीं हो सकते

इस कथित आधार पर स्पष्टीकरण कि बोझ

यह स्थापित करना कि उसका मामला पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर निर्भर है और

कोई स्पष्टीकरण देना अभियुक्त का कोई कर्तव्य नहीं है। XXX

XXX

XX

X

21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले में जहां नहीं

प्रत्यक्षदर्शी विवरण उपलब्ध है, एक और सिद्धांत है

एक स्पष्टीकरण जो असत्य पाया जाता है, फिर वही परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है

इसे पूरा करें। यह दृष्टिकोण एक कैटेना में लिया गया है

इस न्यायालय के निर्णय। [तमिलनाडु राज्य बनाम देखें। राजेन्द्रन 1 3 (एस. सी. सी. पैरा 6); यू. पी. राज्य बनाम डॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल 1 4

(एस. सी. सी. पैरा 39: ए. आई. आर. पैरा 40); महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश 1 5 (एस. सी. सी. पैरा 27); गणेश लाल बनाम राजस्थान राज्य 1 6 (एस. सी. सी. पैरा

15) और गुलाब चंद बनाम। एम. पी. का राज्य " (एससीसी पैरा 4)।]

22. जहाँ एक अभियुक्त पर हत्या करने का आरोप लगाया जाता है उसकी पत्नी और अभियोजन पक्ष प्रमुख साक्ष्य देने में सफल हो जाता है

दिखाएँ कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें देखा गया था एक साथ या अपराध को उस आवास में रखा जाता है जहाँ

99) 8 एस. सी. सी. 679

2) 3 एससीसी 300; एआईआर 1992 एससी 2045

00) 1 एस. सी. सी. 471 02) 1 एस. सी. सी. 731

अपराध के लिए जिम्मेदार। निका राम बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य 1 8 में यह देखा गया कि यह तथ्य कि जब उसकी 'खोखरी' के साथ हत्या की गई थी तब आरोपी अकेले अपनी पत्नी के साथ घर में था और यह तथ्य कि आरोपी के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे, किसी भी ठोस सबूत के अभाव में होगा। उसके द्वारा स्पष्टीकरण, उसके अपराध की ओर इशारा करता है। गणेशलाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य "अपीलार्थी पर उसके घर के अंदर हुई उसकी पत्नी की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। यह देखा गया कि जब मृत्यु उसकी अभिरक्षा में हुई थी, तो अपीलार्थी धारा 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में उसकी मृत्यु के कारण के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है।

अभियोजन पक्ष के मामले की अनुपस्थिति के साथ

स्पष्टीकरण को निर्दोषता के साथ असंगत माना गया था अभियुक्त का, लेकिन इस परिकल्पना के अनुरूप कि अपीलार्थी हत्या के अपराध में एक प्रमुख अभियुक्त है

उसकी पत्नी से। यू. पी. राज्य बनाम डॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल 20 चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि पत्नी की मौत देर रात या सुबह-सुबह गला घोंटने से हुई और मिट्टी का तेल छिड़ककर उसके शरीर में आग लगा दी गई। पति का बचाव यह था कि पत्नी ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी और वह उस समय घर पर नहीं था। पत्नी द्वारा अपने रिश्तेदारों को लिखे गए पत्रों से पता चलता है कि पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और उनके संबंधों में तनाव था और सबूतों से पता चलता है कि वे दोनों रात में एक कमरे में थे। यह माना गया था कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई थी और यह पति था जो गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और तदनुसार इस अदालत ने आरोपी को बरी करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और उसे आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया। तमिलनाडु राज्य में v. राजेंद्रन 2 1 पत्नी एक झोपड़ी में मृत पाई गई थी जिसमें आग लग गई थी। सबूतों से पता चलता है कि आरोपी

और उनकी पत्नी को रात करीब 9 बजे झोपड़ी में एक साथ देखा गया और

रा @फुटनोट 9

2) 3 एस. सी. सी. 106

रा @फुटनोट 14

रा @फुटनोट 13 ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आरोपी सुबह छत से बाहर आया जब

आकस्मिक आग जिसके परिणामस्वरूप उसकी पत्नी और एक की मृत्यु हो गई बेटी। चिकित्सीय साक्ष्य से पता चला कि पत्नी की मृत्यु के कारण

गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटना और जलने के कारण नहीं

चोटें। यह माना गया कि आने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती

यह निष्कर्ष कि यह अभियुक्त (पति) था जो था

अपराध का अपराधी "।

(जोर दिया गया)

13. यह एक तय कानूनी स्थिति है कि तथ्य स्वयं नहीं होने चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में यथा-परिकल्पित और "तथ्य" शब्द "वास्तविक भौतिक वस्तु" तक सीमित नहीं है। तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी किसी विशेष स्थान पर सूचना देने वाले के अस्तित्व के बारे में ज्ञान या मानसिक जागरूकता का प्रदर्शन करती है। इसमें किसी वस्तु की खोज, वह स्थान जहाँ से वह उत्पन्न होती है और उसके अस्तित्व के बारे में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है। वसंत संपत डुपारे बनाम के मामले में प्रदर्शनी का विज्ञापन करना उपयोगी होगा। महाराष्ट्र राज्य 2 2, में

विशेष रूप से, पैराग्राफ 23 से 29 तक। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 23. खोज के कारकों को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, कुछ निश्चित

सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुलुकुरी में प्रिवी काउंसिल कोटय्या बनाम। राजा सम्राट 23 ने इस प्रकार माना हैः (आई. ए पी. 77)

" ..... भीतर खोजे गए 'तथ्य' का इलाज करना गलत है।

खोजा गया तथ्य उस स्थान को गले लगाता है जहाँ से वस्तु आती है प्रस्तुत किया जाता है और अभियुक्त को इस बारे में जानकारी दी जाती है,

और दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से इससे संबंधित होनी चाहिए।

तथ्य। पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी

उत्पादित वस्तु में सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है

जिसकी खोज की गई है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इनकी खोज कई साल पहले की गई थी। यह खोज की ओर ले जाता है तथ्य यह है कि एक चाकू के घर में छिपा हुआ है

अपने ज्ञान के लिए सूचना देने वाला, और अगर चाकू साबित हो जाता है

22 1 2 (2015) 1 एससीसी 253

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध करने में उपयोग किया गया है,

खोजा गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान में शब्द जोड़े जाते हैं 'जिसके साथ मैंने ए को चाकू मारा', तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे शब्द की खोज से संबंधित नहीं हैं। मुखबिर के घर में चाकू। "

24. मोहम्मद में। इनायतुल्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2 4, साक्ष्य की धारा 27 के दायरे और दायरे के साथ, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (एससीसी पीपी। 831-32 , पैरा 11-13)

" 11. यद्यपि धारा 27 की व्याख्या और दायरा कई आधिकारिक घोषणाओं का विषय रहा है, ठोस मामलों में आवेदन हमेशा कठिनाई से मुक्त नहीं होता है। इसलिए यह शुरू में सार्थक होगा, एक संक्षिप्त होना

और खंड पर तेजी से नज़र डालें और इसके बारे में याद दिलाया जाए

आवश्यकताएँ। खंड में कहा गया हैः

'27 . अभियुक्त से कितनी जानकारी मिली

साबित किया जा सकता है। - बशर्ते कि, जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य को पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपदस्थ किया जाता है, तो ऐसी जानकारी का इतना हिस्सा, चाहे वह

स्वीकारोक्ति या नहीं, जैसा कि स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित है, साबित किया जा सकता है। 12. अभिव्यक्ति 'बशर्ते कि' वाक्यांश के साथ 'चाहे वह एक स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं' यह दर्शाता है कि यह धारा पूर्ववर्ती प्रावधानों के अपवाद की प्रकृति में है।

विशेष रूपसँ धारा 25 आ 26। इस मामले में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या यह धारा किसी भी हद तक धारा 24 के योग्य है। यह देखा जाएगा कि पहली शर्त आवश्यक है

इस खंड को संचालन में लाना एक की खोज है

तथ्य, यद्यपि एक प्रासंगिक तथ्य, के परिणामस्वरूप

अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी

अपराध। दूसरा यह है कि इस तरह के तथ्य की खोज

पदच्युत किया जाना चाहिए। तीसरा यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी को पुलिस में होना चाहिए।

अभिरक्षा। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है

कि केवल 'इतनी जानकारी' जो स्पष्ट रूप से संबंधित है

इस प्रकार खोजे गए तथ्य स्वीकार्य हैं। बाकी सब

एस. सी. सी. 828; (1976) 1 एस. सी. आर. 715 ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस.।

वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जानकारी को बाहर रखा जाना चाहिए। 'विशिष्ट' शब्द

इसका अर्थ है 'प्रत्यक्ष रूप से', 'निर्विवाद रूप से', 'सख्ती से', 'स्पष्ट रूप से'। द.

के दायरे को सीमित करने और परिभाषित करने के लिए शब्द का उपयोग करने की सलाह दी गई है सिद्ध करने योग्य जानकारी। वाक्यांश 'स्पष्ट रूप से संबंधित है

इस प्रकार खोजा गया तथ्य प्रावधान का लिंचपिन है। यह

वाक्यांश द्वारा प्रदान की गई जानकारी के उस हिस्से को संदर्भित करता है

अभियुक्त जो प्रत्यक्ष और तत्काल कारण है

खोज। प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने के पीछे का कारण

पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान और बयान, यह है कि यदि एक तथ्य है

वास्तव में दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप खोजा जाता है

अभियुक्त, यह उस भाग की सच्चाई की कुछ गारंटी देता है,

और केवल उस जानकारी का वह हिस्सा जो स्पष्ट था,

खोज का तत्काल और निकटवर्ती कारण। ऐसा नहीं है।

गारंटी या आश्वासन शेष विवरण से जुड़ा होता है।

जो अप्रत्यक्ष रूप से या तथ्य से दूर से संबंधित हो सकता है

पता चला।

13. एक समय में यह माना जाता था कि 'तथ्य की खोज' अभिव्यक्ति

खंड में एक भौतिक या भौतिक तथ्य तक सीमित है जो

इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, और इसमें शामिल नहीं है

मानसिक तथ्य (सुखान बनाम देखें। सम्राट 25; गणू चंद्र काशीद बनाम। सम्राट ")। अब यह काफी हद तक तय है कि

अभिव्यक्ति 'तथ्य की खोज' में न केवल शामिल है

उत्पादित भौतिक वस्तु, लेकिन वह स्थान भी जहाँ से

यह प्रस्तुत किया जाता है और अभियुक्त की जानकारी के रूप में

यह (पुलुकुरी कोटय्या बनाम देखें। राजा सम्राट 2,7; उदय भान

वी. U.P.28) की स्थिति। ”

(मूल में जोर)

25. आफताब अहमद अनासारी बनाम। उत्तरांचल राज्य 2 2 9 के बाद

पुलुकुरी कोट्य्या 3 0 में निर्णय लेते हुए, न्यायालय ने कहा

मृतक के कपड़े जब्त करना जो उनके द्वारा छुपाए गए थे

ई अभियुक्त। उस संदर्भ में, अदालत ने राय दी कि (आफताब अहमद)

नासरी मामला, एस. सी. सी. पी. 596 , पैरा 40)

" 40. ..... प्रकटीकरण कथन का भाग, अर्थात्, कि

29 लाह 344

32 बम 286

फुटनोट 23

52 एससी 1116; (1962) 2 सीआरआई एलजे 251; 1962 सप्लीमेंट (2) एससीआर 830 2 एससीसी 583

अपीलार्थी यह दिखाने के लिए तैयार था कि जिस स्थान पर उसने मृतक के कपड़े छिपाए थे, वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से संबंधित है -

उसी स्थान से मृतक के कपड़ों की खोज। यह तर्क कि भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि मृतक के कपड़े बरामद किए गए थे

अपीलार्थी की बहन के घर से

अपीलार्थी द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण बयान, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कपड़े इस प्रकार बरामद किए गए हैं

वे मृतक के थे और इसलिए, कपड़ों की बरामदगी को एक आपत्तिजनक परिस्थिति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, गुणों से रहित है "।

26. महाराष्ट्र राज्य में v. दामू 3 31 यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः (एससीसी p.283, पैरा 35)

" 35. ..... यह अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति नहीं है [साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] में परिकल्पित तथ्य की खोज। पुलुकुरी कोटय्या बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय। राजा सम्राट 3 2 इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकारी है कि खंड में परिकल्पित 'तथ्य की खोज' उस स्थान को शामिल करती है जहाँ से वस्तु उत्पन्न की गई थी, अभियुक्त का इसके बारे में ज्ञान, लेकिन दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से उस प्रभाव से संबंधित होनी चाहिए।

इसी तरह का सिद्धांत महाराष्ट्र राज्य v में निर्धारित किया गया है। सुरेश 3 3, पंजाब राज्य बनाम। वर्णम कौर 3 4, आफताब अहमद अनासरी बनाम। उत्तरांचल राज्य 3 5, भगवान दास बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 3,6, मनु शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 3 7 और रूमी बोरा दत्ता बनाम। असम राज्य 3 8.

27. हाथ में मामले में, जैसा कि बोधगम्य है, वसूली

जब अपीलार्थी पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया था, तब वह एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में था, वसूली

0) 6 एस. सी. सी. 269 ए @फुटनोट 23 0) 1 एस. सी. सी. 4719) 11 एससीसी 225 0) 2 एससीसी 583 11) 6 एससीसी 396 10) 6 एससीसी 1

13) 7 एस. सी. सी. 417 ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उनके द्वारा और पंच गवाहों ने जब्ती का समर्थन किया है और उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है

गवाही।

28. इसके अतिरिक्त, एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने पुलिस अधिकारी को पता लगाने के लिए प्रेरित किया था

जिस स्थान पर अपराध किया गया था, और जिस नल पर उसने कपड़े धोए थे, वह स्पष्ट रूप से उसके आचरण के बारे में बताता है क्योंकि वही उसके आचरण को स्थापित करने के लिए सबूत में स्वीकार्य है। इस संदर्भ में हम प्रकाश चंद बनाम में प्राधिकरण को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं। राज्य (दिल्ली प्रशासन) 39 जिसमें न्यायालय ने एच. पी. प्रशासन में निर्णय का उल्लेख करने के बाद। वी. ओम प्रकाश ने इस प्रकार कहाः (प्रकाश चंद मामला, एस. सी. सी. पी. 95, पैरा 8)

" 8. ..... एक व्यक्ति के आचरण के बीच एक स्पष्ट अंतर है जिसके खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है, जो है -

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार्य, यदि ऐसा आचरण मुद्दे में किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य और पाठ्यक्रम में एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान से प्रभावित है। एक जांच जो धारा 162 द्वारा प्रभावित है

दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान शामिल नहीं है, न कि एक आरोपी व्यक्ति के आचरण से संबंधित सबूत (बयान के बराबर नहीं) जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दौरान सामना किया जाता है या पूछताछ की जाती है। उदाहरण के लिए, परिस्थितियों का साक्ष्य, सरलतर, कि एक अभियुक्त व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी का नेतृत्व करता है और उस स्थान की ओर इशारा करता है जहाँ चोरी की वस्तुओं या हथियारों का उपयोग किया गया हो सकता है।

अपराध छिपा हुआ पाया गया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, भले ही आरोपी द्वारा समकालीन रूप से या इस तरह के आचरण के लिए पूर्ववर्ती कोई भी बयान धारा के दायरे में आता है या नहीं।

27 साक्ष्य अधिनियम "।

29. ए. एन. वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य 4 1 यह शासित है

कि - (एससीसी p.721, पैरा9)

9) 3 एस. सी. सी 90

2) 1 एससीसी 249

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के आधार पर,

अभियुक्त व्यक्ति प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण प्रभावित करता है या है

मुद्दे में किसी भी तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से प्रभावित। सबूत परिस्थितियों का, सरलतर, कि अभियुक्त ने इंगित किया

पुलिस अधिकारी के पास, वह स्थान जहाँ शव पड़ा था

अपहृत लड़के का पाया गया और उनकी ओर इशारा करते हुए शरीर को बाहर निकाला गया था, के रूप में स्वीकार्य होगा

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि धारा 8 के तहत आचरण

अभियुक्त द्वारा समकालीन रूप से दिया गया बयान

इस तरह के आचरण के साथ या पूर्ववर्ती के अंतर्गत आता है धारा 27 की परिधि या जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित नहीं

प्रकाश चंद बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन)। भले ही हम पकड़ें कि अपीलार्थियों द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, अभी भी इसके तहत प्रासंगिक है धारा 8. जाँच अधिकारी और पीडब्लू के साक्ष्य

1 , 2 , 7 और पीडब्लू 4 स्पॉट मजार गवाह है कि आरोपी

उन्हें उस स्थान पर ले गया था और उस स्थान की ओर इशारा किया था जहाँ

मृत शरीर को दफनाया गया था, इसके तहत सबूत का एक स्वीकार्य टुकड़ा है

धारा 8 अभियुक्त के आचरण के रूप में। ए-1 की उपस्थिति

और ए-2 उस स्थान पर जहाँ फिरौती की माँग की जानी थी

पूरा किया और पुलिस को देखकर भागने की उनकी कार्रवाई

पक्ष एक प्रासंगिक परिस्थिति है और इसके तहत स्वीकार्य है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 "।

(जोर दिया गया)

14. इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारे पास नहीं है

अपीलार्थी नं. 1-असर मोहम्मद के खिलाफ दर्ज अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि करने में संकोच।

15. सवाल यह है कि क्या वही सबूत हैं या साबित हुए हैं।

अन्य दो अपीलार्थियों, असराफ मोहम्मद और अख्तर मोहम्मद के खिलाफ परिस्थितियों का उपयोग किया जा सकता है। निर्विवाद रूप से, सिवाय इसके कि

सह-अभियुक्त-असर मोहम्मद (अपीलकर्ता संख्या 1) का इकबालिया बयान, अभियोजन पक्ष ने कोई स्वतंत्र ठोस सबूत पेश नहीं किया है जो दूर से भी यह सुझाव दे कि अपीलकर्ता Nos.2 और 3 जाहिदा और इशलाम की हत्या में शामिल थे। अब तक, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान अपने आप में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता का संकेत देने के लिए कुछ और पेश नहीं किया जाता है।

कश्मीर ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. में यह न्यायालय। वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 42, भुबोनी साहू बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर निर्भर है। आर. 4 3 43, पेरियास्वामी मूपन, इन रिया के साथ-साथ सम्राट वी। ललित मोहन चक्करबुट्टी ने एक अभियुक्त व्यक्ति के कबूलनामे की प्रभावकारिता और क्या इसका उपयोग सह-अभियुक्त के खिलाफ किया जा सकता है, के बारे में बताया है। कश्मीरा सिंह में व्याख्या को इस न्यायालय की संविधान पीठ ने हरिचरण कुर्मी बनाम में मंजूरी दी है। बिहार राज्य, विशेष रूप से अनुच्छेद 12 में जो इस प्रकार हैः

अभियोजन पक्ष एक अभियुक्त के कबूलनामे पर निर्भर करता है एक अन्य अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति, उचित

अपनाए जाने का दृष्टिकोण ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अन्य साक्ष्य पर विचार करना है, और यदि उक्त साक्ष्य संतोषजनक प्रतीत होता है और अदालत यह ठहराने के लिए इच्छुक है कि -

उक्त साक्ष्य कथित अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए आरोप को कायम रख सकता है, अदालत खुद को आश्वस्त करने के लिए स्वीकारोक्ति की ओर मुड़ती है कि वह अन्य साक्ष्य से जो निष्कर्ष निकालना चाहती है वह सही है। जैसा कि देखा गया है।

सम्राट वी में सर लॉरेंस जेनकिंस द्वारा। ललित मोहन

चकेरबट्टी एक स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल 'सह-अभियुक्त के खिलाफ अन्य साक्ष्य को आश्वासन देने' के लिए किया जा सकता है। पेरियास्वामी मूपन में, री रेली में, जे. ने कहा कि धारा 30 का प्रावधान नहीं जाता है।

इसके अलावाः

' ..... जहाँ सह-अभियुक्त के खिलाफ सबूत है

यदि विश्वास किया जाए तो उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, तो धारा 30 में वर्णित स्वीकारोक्ति को उस साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए एक अतिरिक्त कारण के रूप में पैमाने में डाला जा सकता है।

भुबोनी साहू बनाम। आर. प्रिवी काउंसिल ने भी यही व्यक्त किया है देखें। बोर्ड के लिए बोलने वाले सर जॉन ब्यूमोंट ने कहा किः

44 आई. एल. आर. (1931) 54 मैड 75 45 आईएलआर (1911) 38 कैल 559 46 (1964) 6 एससीआर 623; एआईआर 1964 एससी 1184 [2018] 13 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से एक का प्रमाण है

बहुत कमजोर प्रकार। यह वास्तव में परिभाषा के भीतर नहीं आता है।

अनुमोदनकर्ता, जो उन दुर्बलताओं में से किसी के अधीन नहीं है। हालांकि, धारा 30 में प्रावधान है कि अदालत कार्रवाई कर सकती है;

लेकिन धारा में यह नहीं कहा गया है कि स्वीकारोक्ति

प्रमाण के लिए राशि। स्पष्ट रूप से अन्य सबूत होने चाहिए।

स्वीकारोक्ति विचार में केवल एक तत्व है

मामले में साबित सभी तथ्यों में से; इसे रखा जा सकता है

माप और अन्य साक्ष्य के साथ तौला गया।

यह ध्यान दिया जाएगा कि में निहित प्रावधानों के परिणामस्वरूप

धारा 30, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाना चाहिए एक सामान्य तरीके से सबूत की राशि, क्योंकि जो कुछ भी है

अदालत द्वारा विचार किया गया सबूत है; परिस्थितियाँ जो हैं

न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के साथ-साथ संभावनाएँ भी उस सामान्य अर्थ में प्रमाण। इस प्रकार, हालांकि स्वीकारोक्ति हो सकती है

उस सामान्य अर्थ में सबूत के रूप में माना जाता है क्योंकि

धारा 30 के प्रावधान, तथ्य यह है कि यह सबूत नहीं है

अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित। परिणाम यह है कि

सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति के साथ शुरू नहीं कर सकता है की गुणवत्ता और प्रभाव के संबंध में अपनी राय बनाई

उक्त साक्ष्य, तो यह करने के लिए बारी करने की अनुमति है

निष्कर्ष तक आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्वीकारोक्ति

अपराध का जो न्यायिक मन उक्त पर पहुँचने वाला है अन्य प्रमाण। वह, संक्षेप में कहा गया है, प्रावधानों का प्रभाव है

धारा 30 में निहित है। एक ही विचार व्यक्त किया गया है इस न्यायालय ने कश्मीरा सिंह बनाम. एम. पी. का राज्य जहाँ निर्णय लिया गया

भुबोनी साहू मामले में प्रिवी काउंसिल का हवाला दिया गया है

स्वीकृति "।

(जोर दिया गया)

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसके खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है।

लैंट नोस। 2 और 3 केवल पुलिस के समक्ष किए गए अपीलार्थी के इकबालिया बयान के आधार पर, भले ही इकबालिया बयान ए. एस. ए. आर. मोहम्मद और ओ. आर. एस. का प्रासंगिक हिस्सा हो।

वी. यू. पी. राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

स्वीकार्य है और विधिवत साबित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा है। 2 और 3 जाहिदा और इशलाम की हत्या का कारण बनने के लिए, उन्हें आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आरोप, जैसा कि बनाया गया है, धारा 302 के तहत अपराध के लिए सरल है और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 या आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी संख्या के विरुद्ध दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से अभिलिखित अपराध का निष्कर्ष। 2 और 3 आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तथ्यों या कानून के आधार पर कायम नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में बरी करना होगा। 17. अगला सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी Nos.2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। तथ्य यह है कि अपीलार्थी सं। 2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उन्हें आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध से मुक्त नहीं करता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अभिलेख से प्रमाणित परिस्थितियों में कोई संदेह नहीं है कि जाहिदा और इशलाम अपीलार्थियों के साथ एक ही घर में रह रहे थे। इसके अलावा, जाहिदा अपीलार्थी नं. 3 की दूसरी पत्नी थी और इशलाम कोई और नहीं बल्कि जाहिदा के साथ विवाह में पैदा हुए अपीलार्थी नं. 3 का बेटा था। जाहिदा अपीलार्थी नोस की सौतेली माँ थीं। 1 और 2 और इशलाम उनका सौतेला भाई था। इस संबंध पर कोई विवाद नहीं हुआ है। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि जाहिदा और इशलाम अचानक दो महीने से अधिक समय से लापता थे। जाहिर है, अपीलार्थी संख्या द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। 2 और 3 जाहिदा और इशलाम का पता लगाने के लिए और न ही उन्होंने स्थानीय पुलिस को उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक समझा। यह वास्तव में जाहिदा के पति और नाबालिग बेटे इशलाम के पिता अपीलार्थी संख्या 3 का स्वाभाविक व्यवहार या आचरण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, अपीलार्थी सं। 2 और 3 ने अपीलार्थी संख्या 1-असर मोहम्मद के कहने पर अपने घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक से पाए गए दो शवों की पहचान को चुनौती नहीं दी है। उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने जाहिदा और इशलाम के अचानक गायब होने की सूचना क्यों नहीं दी (जब तक कि उनके शव दो महीने बाद उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक से बरामद नहीं हुए)। सहवर्ती यह है कि अपीलार्थी Nos.2 और 3 को जानकारी थी कि जाहिदा और इशलाम की हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को अंदर फेंक दिया गया था

उनके घर के पिछवाड़े में सेप्टिक टैंक और फिर भी, उन्होंने अपीलार्थी नंबर 1-असर मोहम्मद, [2018] 13 एस. सी. आर. की जांच करने के इरादे से उस तथ्य का खुलासा नहीं किया।

अपराधी, कानूनी सजा से। दूसरे शब्दों में, भले ही उन्हें उस संबंध में कानूनी साक्ष्य के अभाव में जाहिदा और इशलाम की हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, वे निश्चित रूप से आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध करने के लिए दोषी होंगे, जैसा कि उनके आचरण के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में उनकी घोर विफलता के साथ साबित परिस्थितियों से स्थापित होता है। अपरिहार्य और वैध निष्कर्ष यह निकाला जाना चाहिए कि वे आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं, जिसके लिए उन्हें उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और निचली अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है और निचली अदालत की किस राय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। नतीजतन, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील संख्या। 2 और 3 आंशिक रूप से केवल आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें बरी करने की सीमा तक सफल होंगे।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी संख्या 1-असर मोहम्मद द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है। जबकि, अपीलार्थी Nos.2 और 3 असराफ मोहम्मद और अख्तर द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से है।

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करके अनुमति दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया है। तदनुसार आदेश दिया।

अपी

ल का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी